

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 26, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 6-ए-42-1995-1-पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा” भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन तथा अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	वेतनमान (3)	सेवा का नाम तथा वर्गीकरण (4)	कुल कर्तव्य पद (5)
1.	संचालक, वाणिज्यिक कर	37400—67000 + ग्रेड पे 8900/-	मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा श्रेणी-एक.	01
2.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	37400—67000 + ग्रेड पे 8700/-	-तदैव-	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	15600—39100 + ग्रेड पे 7600/-	मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा श्रेणी-एक.	43
4.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	15600—39100 + ग्रेड पे 6600/-	-तदैव-	79
5.	विधि अधिकारी	15600—39100 + ग्रेड पे 6600/-	-तदैव-	01
6.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400/-	मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा श्रेणी-दो.	214
7.	सिस्टम एनालिस्ट	15600—39100 + ग्रेड पे 5400/-	-तदैव-	06
8.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.	9300—34800 + ग्रेड पे 3600/-	-तदैव-	432
9.	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 + ग्रेड पे 4200/-	-तदैव-	01
10.	वरिष्ठ निज सहायक	9300—34800 + ग्रेड पे 3200/-	-तदैव-	09

“अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

सेवा में भर्ती का तरीका

प्रशासकीय विभाग का नाम	पद/संवर्ग का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्यिक कर विभाग	1. संचालक, वाणिज्यिक कर	01	-	100 प्रतिशत	-
	2. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	11	-	100 प्रतिशत	-
	3. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	43	-	100 प्रतिशत	-
	4. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	79	-	100 प्रतिशत	-
	5. विधि अधिकारी	01	-	-	100 प्रतिशत
	6. वाणिज्यिक कर अधिकारी	214	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
	7. सिस्टम एनालिस्ट	06	100 प्रतिशत	-	-
	8. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	432	-	50 प्रतिशत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक से तथा 50 प्रतिशत कराधान सहायक से.
	9. प्रशासनिक अधिकारी	01	-	100 प्रतिशत	-
	10. वरिष्ठ निज सहायक	09	-	100 प्रतिशत	-

“अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें

सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के नाम (1)	पद का नाम जिसे सीधी भरती से भरा जाना है (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शिक्षा / अन्य अर्हता (5)	अभ्युक्तियां (6)
वाणिज्यिक कर विभाग.	1. वाणिज्यिक कर अधिकारी.	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	
	2. सिस्टम एनालिस्ट	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन में बी. ई./बी. टेक/ एम.एस.सी./एम.सी.ए. की उपाधि.	

अनुसूची-चार
(नियम 20 देखिए)

प्रशासकीय विभाग का नाम (1)	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति हेतु अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)
वाणिज्यिक कर विभाग.	1. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	संचालक, वाणिज्यिक कर.	3 वर्ष	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन—अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर—सदस्य 3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर—सदस्य
	2. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य—अध्यक्ष.
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर.	5 वर्ष	2. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर—सदस्य 3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर—सदस्य
	4. वाणिज्यिक कर अधिकारी	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	5 वर्ष	4. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधि अथवा उसके समकक्ष कोई अधिकारी—सदस्य. ”.
	5. सहायक वाणिज्यिक कर, अधिकारी.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	5 वर्ष	
	6. वाणिज्यिक कर, निरीक्षक तथा कराधान सहायक.	सहायक वाणिज्यिक कर, अधिकारी	5 वर्ष	
	7. अधीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	3 वर्ष	
	8. निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 6 ए-42-1995-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6 ए-42-1995-1-पांच (54), दिनांक 17 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th December 2013

No. F-A 6A-42-1995-1-V-(54).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Taxation (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I

(See Rule-5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Post, included in the Madhya Pradesh State Taxation Service

S. No.	Name of Posts included in the service	Pay scale	Name of service and classification	Total duty post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Director, Commercial Tax	37400-67000 Grade pay Rs 8900/-	Madhya Pradesh State Taxation Service class-I	01
2	Additional Commissioner, Commercial Tax	37400-67000 Grade pay Rs 8700/-	-do-	11
3	Deputy Commissioner, Commercial Tax	15600-39100 Grade pay Rs 7600/-	-do-	43
4	Assistant Commissioner, Commercial Tax	15600-39100 Grade pay Rs 6600/-	-do-	79
5	Law Officer	15600-39100 Grade pay Rs 6600/-	-do-	01
6	Commercial Tax Officer	15600-39100 Grade pay Rs 5400/-	Madhya Pradesh State Taxation Service class-II	214
7	System Analyst	15600-39100 Grade pay Rs 5400/-	-do-	06
8	Assistant Commercial Tax Officer	9300-34800 Grade pay Rs 3600/-	-do-	432
9	Administrative Officer	9300-34800 Grade pay Rs 4200/-	-do-	01
10	Senior Personal Assistant	9300-34800 Grade pay Rs 3200/-	-do-	09

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Method of recruitment to the service

Name of Administrative Department (1)	Name of the post / cadre (2)	Total Number of post (3)	Percentage of post to be filled		
			By direct recruitment (4)	By promotion (5)	By deputation (6)
Commercial Tax Department	1. Director, Commercial Tax	01	-	100%	-
	2. Additional Commissioner Commercial Tax	11	-	100%	-
	3. Deputy Commissioner Commercial Tax	43	-	100%	-
	4. Assistant Commissioner Commercial Tax	79	-	100%	-
	5. Law Officer	01	-	-	100%
	6. Commercial Tax Officer	214	50%	50%	-
	7. System Analyst	06	100%	-	-
	8. Assistant Commercial Tax Officer	432	-	50% from commercial Tax Inspector and 50% from Taxation Assistant	-
	9. Administrative Officer	01	-	100%	-
	10. Senior Personal Assistant	09	-	100%	-

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Conditions of eligibility for direct recruitment

Name of Administrative Department (1)	Name of the post to be filled up by direct recruitment (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Education / other qualification (5)	Remarks (6)
Commercial Tax Department	1. Commercial Tax Officer	21 years	40 years	Graduate degree from any recognized University	
	2. System Analyst	21 years	40 years	B.E./ B.Tech / MSc. / MCA in Computer Science or Information Technology or Electronics and Telecommunication from any recognized University	

SCHEDULE-IV
(See Rule-20)

Name of Administrative Department	Name of post from which promotion is be made	Name of post to which Promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of the Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commercial Tax Department	1. Additional Commissioner, Commercial Tax	Director, Commercial Tax	3 years	1. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh—Chairman 2. Principal Secretary, Commercial Tax—Member 3. Commissioner Commercial Tax—Member.
	2. Deputy Commissioner, Commercial Tax	Additional Commissioner, Commercial Tax	3 years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—Chairman.
	3. Assistant Commissioner, Commercial Tax	Deputy Commissioner, Commercial Tax	5 years	2. Principal Secretary, Commercial Tax—Member
	4. Commercial Tax Officer Commercial Tax	Assistant Commissioner, Commercial Tax	5 years	3. Commissioner, Commercial Tax—Member
	5. Assistant Commercial Tax Officer	Commercial Tax Officer	5 years	4. Representative of Scheduled Castes / Scheduled Tribes or any officer of similar category—Member."
	6. Commercial Tax Inspector and Taxation Assistant	Assistant Commercial Tax Officer	5 years	
	7. Superintendent	Administrative Officer	3 years	
	8. Personal Assistant	Senior Personal Assistant	5 years	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.